



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042026-271985
CG-DL-E-22042026-271985

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2026/वैशाख 2, 1948

No. 280]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2026/VAISAKHA 2, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 304(अ).— प्रस्तावित मसौदा नियम, जिन्हें (i) केंद्र सरकार धारा 24(4)(ख) के साथ पठित धारा 76(2)(छ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; और (ii) केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से, भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 (2025 का 27) की धारा 24(5)(क) और 24(5)(ख) के साथ पठित धारा 78(2)(ग) और (घ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम को लागू किए जाने की तारीख को अथवा उसके बाद बनाने का प्रस्ताव करती है, को एतद्वारा सभी संभावित प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर 21 मई, 2026 के बाद विचार किया जाएगा।

इन मसौदा नियमों के संबंध में आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, तो उन्हें श्री नवीन कुमार, अवर सचिव, भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा संख्या 547, 5वीं मंजिल, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को संबोधित किया जा सकता है या ईमेल (uspd-psw@gov.in और sopd1-psw@gov.in) पर 21 मई, 2026 तक या उससे पहले भेजा जा सकता है।

उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों को, इन्हें प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक नहीं माना जाएगा और इन्हें वैश्वसिक हैसियत में रखा जाएगा, ताकि हित धारक अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रदान कर सकें और केंद्र सरकार द्वारा नियमों को अंतिम रूप देने से पहले इन पर समुचित विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

अध्याय I- प्रारंभिक

1. लघु शीर्षक, प्रारंभ और प्रयोज्यता।

- (1) इन नियमों को पत्तन पर संक्रमित जोन प्रबंधन, रिपोर्टिंग और संक्रामक रोगों का नियंत्रण, नियम, 2026 कहा जा सकता है।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- (3) अध्याय 1 महापत्तनों और महापत्तन की सीमा के ऐसे भाग पर लागू होगा जिसे धारा 24(4)(क) के अंतर्गत संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया है।
- (4) अध्याय II और III उन सभी पत्तनों, जिन पर अधिनियम लागू होता है और ऐसे किसी भी पत्तन पर आने वाले, वहां से जाने वाले या वहां मौजूद प्रत्येक जलयान पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;
 - (क) “संचरणीय रोग” से किसी विशिष्ट संक्रामक कारक या उसके विषैले उत्पादों के कारण होने वाली बीमारी अभिप्रेत है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल सकती है;
 - (ख) “सांसर्गिक रोग” वे रोग हैं जो किसी वाहक या माध्यम के बिना मनुष्यों के बीच फैल सकते हैं;
 - (ग) संक्रामक रोग रोगजनक सूक्ष्मजीवों, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या कवक के कारण होते हैं; ये रोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संभावित खतरा पैदा कर सकते हैं;
 - (घ) “संक्रमित क्षेत्र” से किसी भी ऐसे क्षेत्र, स्थान या भौगोलिक क्षेत्र अभिप्रेत है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, महामारी आपातकाल या सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम जारी है, और जो किसी पत्तन की सीमा के भीतर या उसके आस-पास के क्षेत्रों में स्थित है और जिसे अधिनियम की धारा 24(4)(ख) के तहत संक्रामक, सांसर्गिक, संचारी रोग, कीट, रोग वाहक, खतरनाक (सीबीआरएनई) संदूषक या किसी अन्य अधिसूचित सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे की उपस्थिति, संदिग्ध उपस्थिति या संचरण के जोखिम के कारण संक्रमित घोषित किया गया है तथा जिसके लिए निगरानी और नियंत्रण उपायों की आवश्यकता है;
 - (ङ) “अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम” या “आईएचआर” से विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (2005) अभिप्रेत है;
 - (च) “अंतर्देशीय जलयान” से अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का संख्या 24) की धारा 3 की उपधारा (थ) के अंतर्गत परिभाषित जलयान अभिप्रेत है;
 - (छ) “भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण” या “आईडब्ल्यूआई” से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का संख्या 82) की धारा 3 के तहत गठित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ज) महापत्तन में "पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी" में स्वास्थ्य अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या उनकी ओर से पत्तन स्वास्थ्य संगठन के कार्यों का निष्पादन करने वाला कोई भी अधिकारी शामिल है।

(झ) "पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न (पीएचईआईसी)" से एक असाधारण घटना अभिप्रेत है जिसे निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

(i) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोग के प्रसार से देश और अन्य देशों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम प्रस्तुत करना; और

(ii) इसके लिए संभवतः समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया अपेक्षित होना;

(ज) "सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन आकस्मिक योजना" वास्तविक और संभावित सार्वजनिक पीएचईआईसी के लिए एक आकस्मिक योजना है, विशेष रूप से उन स्थितियों के लिए जो उभरती संक्रामक बीमारियों या किसी भी संक्रामक या सांसर्गिक रोगों के कारण होती हैं जो पत्तन सीमाओं, राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं से परे होती हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल सकती हैं;

(ट) "संदिग्ध मामला" से वे व्यक्ति, सामान, माल, कंटेनर, पोत या वाहन, वस्तु, डाक पार्सल अभिप्रेत है जिन्हें पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम के संपर्क में आने वाला या संभावित रूप से संपर्क में आने वाला माना जाता है और जो रोग के प्रसार का संभावित स्रोत हो सकते हैं;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, किन्तु अधिनियम और भारतीय पत्तन नियम, 2026 में परिभाषित शब्द एवं अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः उनमें दिया गया है।

अध्याय II – संक्रमित क्षेत्र प्रबंधन

3. उद्देश्य और मार्गदर्शक सिद्धांत

धारा 24 की उपधारा (4) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, इन नियमों में निर्धारित उपायों को निम्नलिखित उद्देश्यों और सिद्धांतों के साथ लागू किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) किसी संक्रमित क्षेत्र से, उसके भीतर या उसके माध्यम से संक्रामक या सांसर्गिक के प्रसार को रोकना, नियंत्रित करना या सीमित करना;

(ख) नाविकों, कामगारों, यात्रियों और स्थानीय समुदाय के लिए एक सुरक्षित परिवेश बनाए रखना, साथ ही पत्तन संचालन, व्यापार और यात्रा में अनावश्यक बाधाओं को कम करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि उपाय हैं —

(i) जोखिम-आधारित और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम के आकलन के समानुपातिक;

(ii) समयबद्ध और आवधिक समीक्षा के अध्यक्षीन;

(iii) सार्वजनिक स्वास्थ्य और समुद्री परिवहन से संबंधित लागू अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत भारत के दायित्वों के अनुरूप; और

(iv) व्यक्तियों की गरिमा, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का उचित ध्यान रखते हुए कार्यान्वित किया गया है।

4. संक्रमित क्षेत्र प्रबंधन योजना

- (1) प्रत्येक महापत्तन धारा 24 की उपधारा (4) के तहत संक्रमित क्षेत्र की घोषणा की स्थिति में कार्यान्वयन हेतु एक पत्तन संक्रमित क्षेत्र प्रबंधन योजना तैयार करेगा और उसे बनाए रखेगा।
- (2) इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान होंगे:—
 - (क) इन नियमों के कार्यान्वयन हेतु संगठनात्मक संरचना एवं उत्तरदायी अधिकारियों के पदनाम;
 - (ख) संक्रमित क्षेत्रों के त्वरित सीमांकन एवं अंकन की प्रक्रियाएँ;
 - (ग) व्यक्तियों की स्वास्थ्य जाँच, पृथक्करण, क्वारंटीन एवं चिकित्सा सहायता हेतु प्रोटोकॉल;
 - (घ) पर्यावरण स्वच्छता, कीटाणुशोधन एवं रोग वाहक-नियंत्रण व्यवस्थाएँ;
 - (ङ) माल और महत्वपूर्ण आपूर्तियों की सुरक्षित दुलाई सहित आवश्यक पत्तन संचालन की निरंतरता;
 - (च) पत्तन स्वास्थ्य संगठन, जिला या राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों एवं अन्य एजेंसियों के साथ संचार, सूचना साझाकरण एवं समस्या निवारण तंत्र; और
 - (छ) प्रशिक्षण, अभ्यास एवं आवधिक समीक्षा।
- (3) यह योजना पत्तन स्वास्थ्य संगठन के परामर्श से तैयार की जाएगी और इसकी समीक्षा केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्देशित कम से कम दो साल में एक बार या उससे पहले की जाएगी।

5. संक्रमित क्षेत्र की घोषणा एवं अधिसूचना

- (1) प्राधिकरण, स्वास्थ्य अधिकारी और संरक्षक की सलाह पर, पत्तन के किसी भी बर्थ, टर्मिनल, लंगरगाह, गोदाम या अन्य क्षेत्र को संक्रमित क्षेत्र घोषित कर सकता है।
- (2) संक्रमित क्षेत्र की सभी घोषणा निम्नानुसार होंगी;
 - (क) क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं को निर्दिष्ट करना;
 - (ख) संक्रमण या खतरे की प्रकृति की पहचान करना;
 - (ग) प्रयोजनीयता की अवधि बताना, समीक्षा के अध्यक्षीन; और
 - (घ) इसे पत्तन की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना, नाविकों के लिए सूचना जारी किया जाना और नौवहन लाइनों, टर्मिनल संचालकों, सीमा शुल्क, आत्रजन और अन्य एजेंसियों को सूचित किया जाना।
- (3) यदि संक्रमित क्षेत्र में राष्ट्रीय जलमार्ग का कोई भी हिस्सा पत्तन की सीमाओं को ओवरलैप करता है, तो नौवहन प्रबंधन और परामर्श जारी करने के लिए आईडब्ल्यूआई को सूचित किया जाएगा।
- (4) प्राधिकरण प्रत्येक सात दिनों में या स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित अंतराल पर घोषणा की समीक्षा करेगा।

6. प्रवेश, आवागमन और संचालन पर प्रतिबंध

- (1) किसी भी जलयान, चालक दल, यात्री, पत्तन कामगार या आगंतुक को स्वास्थ्य अधिकारी या अधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना संक्रमित क्षेत्र में प्रवेश करने या बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
- (2) संक्रमित क्षेत्र में कार्गो प्रचालन, पत्तन पर माल उतारना, पायलट सेवाएँ, ईंधन भरना, रसद आपूर्ति या कोई भी अन्य पत्तन गतिविधि स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अनुसार विनियमित, प्रतिबंधित या निलंबित की जाएगी।

(3) प्राधिकरण निर्देशित निम्नलिखित के लिए कर सकता है:

(क) जलयानों को निर्धारित क्वारंटाइन बर्थों पर ले जाना;

(ख) संक्रमित माल या दूषित सामग्री को अलग करना;

(ग) प्रभावित कामगारों या चालक दल को अलग रखना; और

(घ) पत्तन यातायात को वैकल्पिक टर्मिनलों की ओर मोड़ना।

(4) अंतर्देशीय जलयानों पर इन नियमों की प्रयोज्यता केवल ऐसे जलयानों तक सीमित रहेगी जो अधिसूचित पत्तन सीमाओं के भीतर स्थित हों या परिचालन कर रहे हों।

7. स्वास्थ्य निगरानी और स्क्रीनिंग

(1) संक्रामक या सांसर्गिक रोग के प्रसार की निगरानी के लिए, स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संरक्षक और प्राधिकरण के समन्वय से संक्रमित क्षेत्र में निरंतर निगरानी रखी जाएगी।

(2) संक्रमित क्षेत्र में आने वाले या वहां परिचालन करने वाले प्रत्येक पोत को निम्नलिखित सूचना प्रदान करनी होगी:

(क) समुद्री स्वास्थ्य घोषणापत्र;

(ख) चालक दल/यात्री स्वास्थ्य रिकॉर्ड; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम के तहत आवश्यक कोई भी अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी सूचना।

(3) स्वास्थ्य अधिकारी चालक दल, यात्रियों और पत्तन कर्मचारियों के तापमान जांच, चिकित्सा परीक्षण, जांच और जोखिम मूल्यांकन कर सकता है।

(4) संक्रमण के संदेह वाले किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार अलगाव, क्वारंटाइन या चिकित्सा निगरानी में रखा जाएगा।

8. स्वच्छता और कीटाणुशोधन

(1) प्राधिकारी मास्टर या टर्मिनल ऑपरेटर से निम्नलिखित कार्य करने की अपेक्षा कर सकता है:

(क) जलयान, माल, कंटेनर, उपकरण या परिसर का कीटाणुशोधन, धूमन या रोगवाहक नियंत्रण;

(ख) दूषित अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान; और

(ग) जल स्वच्छता, बल्लास्ट वाटर की जाँच और वायु गुणवत्ता नियंत्रण।

(2) कीटाणुशोधन उपाय स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय या किसी भी सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होने चाहिए।

9. कार्गो और कंटेनरों पर प्रचालन नियंत्रण

(1) संक्रमित क्षेत्र से आने वाले, वहाँ से होकर गुजरने वाले, अथवा वहाँ उतारे गए कार्गो की ऐसी अतिरिक्त जाँच, प्रशोधन या प्रमाणीकरण किया जाएगा, जैसा कि स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए।

(2) बिना लिखित स्पष्टीकरण/निकासी के पत्तन से कोई भी दूषित कार्गो या सामग्री छोड़ी नहीं की जाएगी।

(3) संक्रमित क्षेत्र के भीतर उपयोग किए जाने वाले कंटेनर-हैंडलिंग उपकरणों का पुनः नियोजन करने से पहले अनिवार्य सैनिटाइजेशन किया जाएगा।

10. श्रमिक सुरक्षा और सुरक्षात्मक उपाय

- (1) प्राधिकरण, स्वास्थ्य अधिकारी और संक्रमित क्षेत्र के भीतर कार्यरत नियोक्ताओं के साथ परामर्श करके, यह सुनिश्चित करेगा कि—
 - (क) ऐसे श्रमिक जिन्हें संक्रमित क्षेत्र में प्रवेश करने या रहने की आवश्यकता है, उन्हें उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और उनके सही उपयोग का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए;
 - (ख) कार्य समय- सीमा और तैनाती इस प्रकार व्यवस्थित की जाए जिससे जोखिम कम हो सके, जिसमें जहाँ व्यावहारिक हो, ड्यूटी का रोटेशन और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में ओवरटाइम को न्यूनतम करना शामिल है; और
 - (ग) कोई भी श्रमिक, जो अस्वस्थ है, या जिसे संदिग्ध या पुष्ट मामले अथवा निकट संपर्क के रूप में पहचाना गया है, उसे तुरंत ड्यूटी से मुक्त किया जाए और चिकित्सा जांच के लिए भेजा जाए।
- (2) नियोक्ता, स्वास्थ्य अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा जारी किसी भी निर्देश के उल्लंघन में किसी भी श्रमिक को संक्रमित क्षेत्र में प्रवेश करना या रहना अपेक्षित नहीं करेंगे। टर्मिनल प्रचालक श्रमिक तैनाती, पीपीई वितरण और जोखिम रिकॉर्ड की तालिका बनाए रखेंगे।
- (3) किसी भी श्रमिक को संक्रमण-नियंत्रण प्रक्रियाओं में पर्याप्त प्रशिक्षण के बिना संक्रमित क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाएगा।

11. संचार, समन्वय और रिपोर्टिंग

- (1) प्राधिकरण एक एकीकृत इंसिडेंट कमांड संरचना स्थापित करेगा, जिसमें सीमा शुल्क, इमिग्रेशन, तटरक्षक, पुलिस, शिपिंग एजेंट और स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- (2) जलयानों के मास्टर जलयान पर बीमारी के लक्षण, संदूषण, या असामान्य मृत्यु की सूचना तत्काल देंगे।
- (3) प्राधिकरण दैनिक तौर पर शिपिंग लाइनों और पत्तन उपयोगकर्ताओं सहित सभी हितधारकों को संक्रमित क्षेत्र की स्थिति पर अद्यतन जानकारी प्रदान करेगा।
- (4) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को रिपोर्ट करेंगे और सर्वेक्षण डेटा को पत्तन अधिकारियों तथा एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के साथ साझा किया जाएगा।

12. अनुपालन प्रतिबद्धताएं

- (1) प्रत्येक मास्टर, जलयान एजेंट, टर्मिनल प्रचालक और पत्तन उपयोगकर्ता इन नियमों के तहत जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करेंगे।
- (2) अनुपालन करने में विफलता, अधिनियम के तहत उल्लंघन मानी जाएगी और इसके परिणामस्वरूप जुर्माना, प्रचालन का निलंबन, बर्थिंग प्राथमिकता से इनकार, या कोई अन्य कार्रवाई की जा सकती है जिसे आवश्यक समझा जाए।

13. संक्रमित क्षेत्र की अधिसूचना रद्द करना

- (1) प्राधिकरण, स्वास्थ्य अधिकारी की सलाह पर, यह पुष्टि करने के पश्चात किसी संक्रमित क्षेत्र को अधिसूचना से रद्द कर सकता है कि:-
- (क) अब कोई सक्रिय खतरा नहीं है;
 - (ख) सभी जलयानों, उपकरणों और परिसरों को सैनिटाइज कर दिया गया है;
 - (ग) निगरानी संकेतक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप हैं;

(2) अधिसूचना रद्द करने की सूचना उन्हीं माध्यमों से संप्रेषित की जाएगी जिनके माध्यम से मूल घोषणा की गई थी।

14. दिशा-निर्देश जारी करने की शक्ति

प्राधिकरण संक्रमित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए इन नियमों के अनुरूप विस्तृत दिशा-निर्देश, मानक संचालन प्रक्रियाएं और आकस्मिक प्रोटोकॉल जारी कर सकता है।

15. अवशिष्ट शक्तियाँ

जहाँ इन नियमों के निर्वचन या कार्यान्वयन में कोई संदेह उत्पन्न होता है, वहाँ स्वास्थ्य अधिकारी की सलाह के आधार पर प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय III – संरक्षक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई और इस संबंध में जारी किए जाने वाले निर्देश

16. संरक्षक की शक्तियाँ और कर्तव्य

- (1) धारा 24 की उप-धारा (5) के खंड (क) के प्रयोजन हेतु, संरक्षक तब कार्रवाई करेगा जब—
- (क) किसी पत्तन पर आने वाले या वहाँ स्थित किसी जलयान पर कोई संक्रामक या सांसर्गिक रोग का प्रकोप हो, या प्रकोप का समुचित संदेह हो; और
 - (ख) ऐसा तथ्य निम्नलिखित के माध्यम से संरक्षक के संज्ञान में लाया गया हो—
 - (i) धारा 24 की उप-धारा (5) के खंड (ख) या उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत मास्टर द्वारा दी गई रिपोर्ट; अथवा
 - (ii) स्वास्थ्य अधिकारी या पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट या सलाह; अथवा
 - (iii) अन्य सक्षम प्राधिकारियों सहित किसी अन्य विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त जानकारी।
- (2) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, "प्रकोप का समुचित संदेह" में वे स्थितियाँ शामिल हैं जहाँ—
- (क) पोत पर एक या अधिक संदिग्ध मामले मौजूद हों; अथवा
 - (ख) पिछले पत्तन पर या यात्रा के दौरान किसी पुष्ट मामले या बीमारी के प्रकोप के संपर्क में आने की जानकारी हो।

17. प्रतिक्रिया के स्तर

(1) स्वास्थ्य अधिकारी या पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी की सलाह को ध्यान में रखते हुए, संरक्षक प्रचालन संबंधी उद्देश्यों के लिए स्थिति को निम्नलिखित स्तरों में से किसी एक में वर्गीकृत कर सकता है:

(क) स्तर 1 – बेहतर सतर्कता: आगे संक्रमण फैलने के कम जोखिम के साथ पृथक संदिग्ध मामला (मामलें);

(ख) स्तर 2 – नियंत्रण: किसी एक जलयान पर प्रसार की संभावना के साथ एक या अधिक पुष्ट मामले, अथवा संदिग्ध मामलों का समूह;

(ग) स्तर 3 – तीव्र प्रतिक्रिया: अन्य जलयानों, पत्तन श्रमिकों या समुदाय में प्रसार की आशंका वाले कई मामले या उच्च संक्रामक वाली बीमारी, जिसमें अंतरराष्ट्रीय चिंता के घोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के संदर्भ में रोग भी शामिल है।

2. प्रतिक्रिया का स्तर, अधिनियम के तहत संरक्षक की शक्तियों को सीमित किए बिना, इसके अधीन की जाने वाली कार्रवाई और निर्देशों की गंभीरता द्वारा निर्देशित होगा।

18. संरक्षक द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देश

संरक्षक, पत्तन की सीमाओं के भीतर किसी भी मास्टर, मालिक, एजेंट, या जलयान, संरचना या परिसर के प्रभारी व्यक्ति को लिखित या मौखिक (बाद में लिखित पुष्टि के साथ) निर्देश जारी कर सकता है, जिनमें निम्नलिखित निर्देश शामिल हैं:

(क) जलयानों के लिए:

(i) एंकरेज या बर्थ बदलने के लिए;

(ii) एंकर उठाने, आगे बढ़ने, टो करने, या निर्दिष्ट स्थानों पर मूर के लिए;

(iii) प्रचालन बंद करने के लिए, जिसमें कार्गो हैंडलिंग, बंकरिंग या यात्रियों की आवाजाही शामिल है;

(iv) गति सीमा, नौवहन मार्ग, ज्वारीय विंडोज, या पायलटेज की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए;

(v) जलयान के फंसने, टकराने, प्रदूषण या बाधा को रोकने के उपाय करने के लिए।

(ख) टर्मिनलों और ऑपरेटरों के लिए:

(i) प्रभावित क्षेत्रों में प्रचालन को निलंबित या आशोधित करने के लिए;

(ii) बाधा उत्पन्न करने वाले उपकरणों या वस्तुओं को हटाने के लिए;

(iii) आपातकालीन प्रदूषण-नियंत्रण, अग्नि-सुरक्षा, या रिसाव-रोकथाम उपायों को लागू करने के लिए।

(ग) व्यक्तियों या संगठनों के लिए:

(i) असुरक्षित क्षेत्रों को खाली करने के लिए;

(ii) सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन करने के लिए;

(iii) निरीक्षण के लिए पहुँच, दस्तावेज़ या सहयोग प्रदान करने के लिए।

19. स्वास्थ्य प्राधिकरणों और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय

- (1) नियम 5 के तहत स्थिति की जानकारी मिलने के बाद, संरक्षक यथाशीघ्र निम्नलिखित को सूचित करेगा और निम्न के साथ समन्वय करेगा—
- (क) स्वास्थ्य अधिकारी या पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी;
- (ख) इस प्रयोजन के लिए नामित कोई भी स्थानीय या राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकारी; और
- (ग) ऐसी अन्य एजेंसियां जिनकी आवश्यकता हो सकती है, जिनमें इमिग्रेशन, सीमा शुल्क, तटरक्षक या पुलिस शामिल हैं।
- (2) व्यक्तियों के निदान, उपचार, एकाकी करने या क्वारंटीन करने संबंधी निर्णय के लिए, स्वास्थ्य अधिकारी या अन्य सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तरदायी होगा और संरक्षक, पत्तन की सीमाओं के भीतर ऐसे निर्णयों में मदद करने और कार्यान्वित करने के लिए प्रचालनगत उपाय करेगा।
- (3) संरक्षक, सामान्य स्थिति आधुनिकीकरण और संयुक्त नियोजन सहित महत्वपूर्ण घटनाओं (स्तर 2 या स्तर 3) के लिए, पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य मुख्य एजेंसियों के साथ एक संयुक्त घटना समन्वय तंत्र स्थापित कर सकता है।

20. ज़ारी किए गए निदेशों का रिकॉर्ड

- (1) संरक्षक, ज़ारी किए गए सभी निदेशों का एक रेजिस्टर बनाएगा, जिसमें दिनांक, समय, निदेश की प्रकृति और अनुपालन स्थिति शामिल होगी।
- (2) पत्तन प्राधिकरण को एक समेकित मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

21. संचार और प्रकाशन

- (1) संरक्षक, निम्नलिखित माध्यम से तत्काल निदेशों को प्रसारित करेगा:
- (क) वीएचएफ रेडियो;
- (ख) नाविक को स्थानीय नोटिस
- (ग) ईमेल/एसएमएस अलर्ट
- (घ) वीटीएस एडवाइजरी
- (2) पत्तन प्रचालन को प्रभावित करने वाले मुख्य निदेशों की प्रतियां, पत्तन की वेबसाइट पर उपलब्ध कारवाई जाएगी।

22. अन्य एजेंसियों से सहायता

संरक्षक, इन नियमों के तहत कार्रवाई को कार्यान्वित करने के लिए पायलटज सेवाएँ, हार्बर मास्टर, तट रक्षक, पुलिस, अग्निशमन सेवाएँ, पर्यावरणीय एजेंसियों और कोई अन्य आवश्यक प्राधिकरण की सहायता का अनुरोध कर सकता है।

23. उपायों की अनुपातिकता, समीक्षा और वापस लेना

- (1) संरक्षक सुनिश्चित करेगा कि इन नियमों के तहत किए गए उपाय--
- (क) नियम 6 के तहत निर्धारित जोखिम स्तर के अनुरूप हैं;

(ख) स्वास्थ्य अधिकारी के परामर्श से समय-समय पर समीक्षा की जाती है; और

(ग) जैसे ही जोखिम का आकलन किया जाता है कि वह एक ऐसे स्तर तक कम हो गया है जहां ऐसे उपायों की अब आवश्यकता नहीं है, उन्हें वापस ले लिया जाता है या इनमें ढील दी जाती है।

(2) प्रमुख घटनाओं (स्तर 2 या स्तर 3) के लिए संरक्षक और स्वास्थ्य अधिकारी, सात दिनों से अधिक अंतराल में स्थिति की संयुक्त समीक्षा करेंगे और विशिष्ट उपायों को ज़ारी, आशोधित और बंद करने के, किसी भी निर्णय को दर्ज करेंगे।

24. बचत

इस अध्याय में सम्मिलित कुछ भी, नौचालन, पर्यावरणीय संरक्षण, समुद्री सुरक्षा अथवा आपातकालीन प्रबंधन से संबंधित किसी भी लागू नियम के तहत, संरक्षक अथवा प्राधिकरण, किसी अन्य शक्ति को सीमित नहीं करेगा।

अध्याय IV - जलयान के मालिक द्वारा संचारी रोग की रिपोर्टिंग

25. मालिक द्वारा किसी ऐसे रोग के विवरण की रिपोर्टिंग

(1) अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (5) के खंड (ख) के अनुसरण में, किसी भी पत्तन पर पहुंचने वाले या वहां मौजूद प्रत्येक जलयान का मालिक, जलयान पर किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग, या संदिग्ध प्रकोप का विवरण निम्न को रिपोर्ट करेगा-

(क) सरकार, उस पत्तन के लिए नामित पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से; और

(ख) संरक्षक या ऐसा अन्य पत्तन अधिकारी, जैसा पत्तन, प्रचालन समन्वय के लिए निर्दिष्ट कर सकता है।

(2) रिपोर्ट करने का कार्य तब उत्पन्न होगा जब—

(क) किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग का कोई मामला या संदिग्ध मामला जहाज़ पर पाया जाता है;

(ख) यात्रा के दौरान या पत्तन पर रहने के दौरान किसी अज्ञात कारण या संदिग्ध संक्रामक रोग से जहाज़ पर कोई मृत्यु हुई है; या

(ग) जहाज़ पर बीमारी के मामलों का एक असामान्य एकत्रीकरण है जो प्रकोप का संकेत दे सकता है।

(3) उप-नियम (1) के तहत रिपोर्ट करना अनिवार्य हो, भले ही जलयान हो:

(क) एकोरेज पर हो,

(ख) रास्ते में हो,

(ग) बर्थ पर हो, या

(घ) कार्गो, बैकरिंग या यात्री प्रचालन में हो

(4) जब तक इन रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं हो जाता, तब तक कोई भी जलयान जावक या आवक निकासी प्राप्त नहीं करेगा।

26. रिपोर्ट का समय

(1) यदि आगमन के पहले संक्रामक या सांसर्गिक रोग के संदिग्ध मामला ज्ञात है, तो मास्टर कम से कम रिपोर्ट करेगा:

(क) आगमन से 24 घंटे पहले, या

(ख) यदि, यात्रा की अवधि 24 घंटों से कम हो तो शीघ्रतम संभव समय पर।

(2) यदि, कोई संक्रामक या सांसर्गिक रोग यात्रा के दौरान प्रकट होता है तो मास्टर, पता लगने पर तुरंत रिपोर्ट करेगा।

(3) यदि, संक्रामक या सांसर्गिक रोग बर्थिंग के बाद प्रकट होता है तो मास्टर, संरक्षक और स्वास्थ्य अधिकारी को अविलंब सूचित करेगा।

27. रिपोर्टिंग का स्वरूप

मास्टर, निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके रोग को रिपोर्ट करेगा:

(क) प्राथमिक रिपोर्टिंग (शुरुआती अधिसूचना)

रिपोर्ट इनके माध्यम से भेजी जाएगी-

- (i) वीएचएफ रेडियो (पत्तन द्वारा नामिक चैनल),
- (ii) पत्तन स्वास्थ्य कार्यालय को ईमेल,
- (iii) पत्तन प्राधिकरण द्वारा नामित इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल,
- (iv) अभिकर्ता के माध्यम से लिखित संचार।

(ख) मैरीटाइम डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ (एमडीएच) की प्रस्तुति

मास्टर, मैरीटाइम डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ प्रस्तुत करेगा, जिसमें शामिल हो -

- (i) संक्रामक या सांसर्गिक रोग के लक्षण और प्रकृति;
- (ii) प्रभावित व्यक्तियों की संख्या;
- (iii) जहाज़ पर किए गए एकाकी करने के उपायों का विवरण;
- (iv) आगमन और प्रस्थान की तिथि के साथ 30 दिनों के लिए पोर्ट ऑफ कॉल की सूची;
- (v) जहाज़ पर कोई मृत्यु;
- (vi) पहले से ही किए गए स्वच्छता उपाय

(ग) पूरक रिपोर्टिंग

मास्टर उपलब्ध करेगा:

- (i) अद्यतन चिकित्सा लॉग
- (ii) कर्मीदल और यात्री सूचियाँ;
- (iii) पिछली चिकित्सा जांच का विवरण;
- (iv) टीकाकरण प्रमाणपत्र या स्वास्थ्य दस्तावेज, यदि आवश्यक हो;
- (v) आईएमओ मानक प्रारूप के अनुसार जहाज़ पर किसी अवैध यात्री का विवरण; आगमन से पूर्व, पिछले 30 दिनों में येल्लो फीवर एंडेमिक देशों के किसी पत्तन के संपर्क में आने (यदि हाँ, पत्तन..... देश प्रस्थान की तिथि..... का विवरण प्रदान करें।) का विवरण।

28. प्रदान की जाने वाली जानकारी

मास्टर द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:

- (क) जलयान का नाम, आईएमओ संख्या, ध्वज और प्रकार;
- (ख) पिछला पोर्ट ऑफ कॉल और अगला पोर्ट ऑफ कॉल;
- (ग) संक्रामक या सांसर्गिक रोग या पता लगाए गए लक्षणों का विवरण;
- (घ) प्रभावित व्यक्तियों की संख्या (कर्मिंदल/यात्रियों का अलग-अलग);
- (ङ) प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति की स्थिति;
- (च) जहाज़ पर किए गए उपाय (एकाकीकरण, विसंक्रमण, उपचार);
- (छ) चिकित्सीय निर्वातन या सहायता के लिए कोई अनुरोध;
- (ज) यदि, जलयान को क्वारंटीन या विशेष बेथिंग निर्देशों की आवश्यकता है।

29. रिपोर्टिंग के बाद मास्टर का कार्य

रिपोर्टिंग के बाद, मास्टर निम्नलिखित कार्य करेगा—

- (क) डब्लूएचओ प्रोटोकाल के अनुसार प्रभावित व्यक्ति को अलग करना;
- (ख) कर्मिंदल/यात्रियों की प्रतिबंधित आवाजाही (स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिये गए परामर्श के अनुसार);
- (ग) जब तक अनुमति न दी जाए, तट छोड़ने पर रोक लगाना;
- (घ) संरक्षक और स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशों का अनुपालन करना;
- (ङ) जहाज़ पर स्वच्छता और साफ-सफाई के उपाय बनाए रखना;
- (च) जलयान को पत्तन स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाना।

30. सर्वेक्षक और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्देश

मास्टर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, संरक्षक, स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशों पर विचार करने के बाद, जलयान को निर्देशित कर सकता है:

- (क) क्वारंटीन लंगरगाह पर लंगर डालने के लिए;
- (ख) एकाकी/क्वारंटीन बर्थ पर बर्थ करना;
- (ग) कार्गो/यात्री प्रचालन को रोकने के लिए;
- (घ) सफाई, कीटाणुशोधन, धूमन करने के लिए;
- (ङ) उपचार के लिए प्रभावित व्यक्ति को जहाज़ से उतारने के लिए;
- (च) चिकित्सा निरीक्षण या जांच कराने के लिए;
- (छ) किसी भी जन-स्वास्थ्य परामर्श का अनुपालन करने के लिए

31. रिपोर्ट करने में विफलता

- (1) संक्रामक या सांसर्गिक रोग को रिपोर्ट करने में विफलता, रिपोर्ट करने में विलंब, या सूचना का लोप, अधिनियम के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।
- (2) पत्तन प्राधिकरण निम्न अधिरोपित कर सकता है—
 - (क) अधिनियम के तहत दंड;
 - (ख) पत्तन निकासी की अस्वीकृति;
 - (ग) जलयान का डिटेंशन;
 - (घ) निरोधन, क्वारंटीन या आपातकालीन उपायों के लिए लागत की वसूली।

32. गोपनीयता और रिकॉर्ड रखना

- (1) संरक्षक और स्वास्थ्य अधिकारी, संक्रामक या संक्रामक रोग रिपोर्ट का एक गोपनीय रजिस्टर बनाएगा।
- (2) रिकॉर्ड कम से कम सात वर्षों के लिए बनाए रखे जाएंगे।
- (3) विधि के अनुसार डब्ल्यूएचओ, राज्य स्वास्थ्य विभाग, और प्रवासन अधिकारियों सहित प्राधिकृत एजेंसियों के साथ जानकारी साझा की जा सकती है।

33. बचत

इस अध्याय में कुछ भी समय-समय पर लागू किसी भी कानून के तहत संरक्षणकर्ता, प्राधिकरण या स्वास्थ्य अधिकारी की सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आपातकालीन उपाय करने की शक्तियों को सीमित नहीं करेगा।

34. भारतीय पत्तन जन स्वास्थ्य नियम, 2026 का आवेदन

इन नियमों के प्रावधान, भारतीय पत्तन जन स्वास्थ्य नियम, 2026 के अतिरिक्त होंगे और इनके अल्पीकरण में नहीं होंगे।

[फा. सं. पीडी-24015/1/2025-पीडी-1-भाग(1)/ई-378339]

मुकेश मंगल, अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2026

G.S.R. 304(E).— Draft rules proposed to be made by (i) the Central Government in exercise of the powers conferred under section 76(2)(g) read with section 24(4)(b); and (ii) the Central Government in consultation with the State Governments, in exercise of the powers conferred under section 78(2)(c) and (d) read with section 24(5)(a) and 24(5)(b) of the Indian Ports Act, 2025 (27 of 2025), on or after the date of coming into force of the Act, are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after 21st May, 2026.

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Naveen Kumar, Under Secretary to the Government of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Room No. 547, 5th Floor, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi – 110001 or by email at (uspd-psw@gov.in and sopd1-psw@gov.in) on or before the 21st May, 2026.

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above shall not be attributed publicly to the persons submitting the same and shall be held in a fiduciary capacity, to enable stakeholders to provide their views freely, and shall be duly considered by the Central Government before finalisation of the rules.

DRAFT RULES

CHAPTER I- PRELIMINARY

1. Short Title, Commencement and Applicability. –

- (1) These rules may be called the Infected Zone Management, Reporting and Control of Communicable Disease at Ports Rules, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) Chapter I shall be applicable to major ports and to such part of the port limits of a major port as is declared as an infected zone under section 24(4)(a).
- (4) Chapter II and III shall be applicable to all ports to which the Act extends and to every vessel arriving at, departing from, or being within any such port.

2. Definitions. –

(1) In these rules, unless the context otherwise requires;

- (a) “communicable disease” means an illness due to a specific infectious agent or its toxic products capable of being directly or indirectly transmitted from human to human;
 - (b) “contagious disease” are those that can be spread between humans without an intervening vector or vehicle;
 - (c) “infectious diseases” are caused by pathogenic microorganisms, such as bacteria, viruses, parasites or fungi; the diseases can be spread, directly or indirectly, from one person to another and may cause potential public health risk;
 - (d) “infected zone” means any territory or space or geographical location which is experiencing ongoing Public Health Emergency of International Concern or Pandemic emergency or public health risk within the limits of any port or its adjoining areas that is declared infected under Section 24(4)(b) of the Act on account of the presence, suspected presence, or risk of transmission of an infectious, contagious, communicable disease, pest, vector, hazardous (CBRNE) contaminant, or any other notified public health threat and that requires surveillance and control measures;
 - (e) “International Health Regulations” or “IHR” means the International Health Regulations (2005) of the World Health Organization;
 - (f) “Inland Vessel” means as defined under sub-section (q) of section 3 of Inland Vessels Acts, 2021 (No. 24 of 2021);
 - (g) “Inland Waterways Authority of India” or “IWAI” means the Inland Waterways Authority of India constituted under section 3 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (No.82 of 1985);
 - (h) “port health officer” in major port includes health officer and an officer appointed by the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) as per Central Health Service rules or any officer working on his behalf to perform the functions of Port Health Organization;
 - (i) “public health emergency of international concern (PHEIC)” means an extraordinary event which is determined: -
 - (i) to constitute a public health risk to the country and other countries through international spread of disease; and
 - (ii) to potentially require a coordinated international response;
 - (j) “public health emergency contingency plan” is a contingency plan for real and potential PHEIC, especially those caused by emerging infectious diseases or any infectious or contagious diseases that do not respect port boundaries, state and national borders and can spread internationally;
 - (k) “suspected case” means persons, baggage, cargo, containers, ship or conveyances, goods, postal parcels considered by Port health officer as having been exposed, or possibly exposed, to a public health risk and that could be a possible source of spread of disease;
- (2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, and Indian Ports Rules, 2026, shall have the meanings respectively assigned to them therein.

CHAPTER II – INFECTED ZONE MANAGEMENT

3. Objectives and guiding principles. –

For the purposes of clause (b) of sub-section (4) of section 24, the measures prescribed in these rules shall be implemented with the following objectives and principles, namely:—

- (a) to prevent, control or contain the spread of infectious or contagious diseases from, within, or through an infected zone;
- (b) to maintain a safe environment for seafarers, workers, passengers and the local community, while minimising unnecessary interference with port operations, trade and travel;
- (c) to ensure that measures are—
 - (i) risk-based and proportionate to the assessed public health risk;
 - (ii) time-bound and subject to periodic review;
 - (iii) consistent with India's obligations under applicable international instruments relating to public health and maritime transport; and
 - (iv) implemented with due regard to dignity, human rights and fundamental freedoms of individuals.

4. Infected Zone Management Plan. –

- (1) Every major port shall prepare and maintain a Port Infected Zone Management Plan for implementation in the event of a declaration of an infected zone under sub-section (4) of section 24.
- (2) The Plan shall, *inter-alia*, provide for—
 - (a) organisational structure and designation of responsible officers for implementing these rules;
 - (b) procedures for rapid delineation and marking of infected zones;
 - (c) protocols for health screening, isolation, quarantine and medical referral of persons;
 - (d) environmental sanitation, disinfection and vector-control arrangements;
 - (e) continuity of essential port operations, including safe handling of cargo and critical supplies;
 - (f) communication, information-sharing and escalation mechanisms with the Port Health Organisation, district or State health authorities and other agencies; and
 - (g) training, drills and periodic review.
- (3) The Plan shall be prepared in consultation with the Port Health Organisation and shall be reviewed at least once in two years or earlier, as may be directed by the Central Government.

5. Declaration and Notification of an Infected Zone. –

- (1) The Authority may, on the advice of the health officer and conservator, declare any berth, terminal, anchorage, warehouse, or other area of the port as an infected zone.
- (2) Every declaration of an infected zone shall;
 - (a) specify the geographical boundaries of the zone;
 - (b) identify the nature of infection or hazard;
 - (c) state the duration of applicability, subject to review; and
 - (d) be published on the port website, notice to Mariners, and communicated to shipping lines, terminal operators, customs, immigration, and other agencies.
- (3) If the infected zone includes any portion of a national waterway overlapping with port limits, IWAI shall be informed for navigation management and issuing advisories.
- (4) The Authority shall review the declaration every seven days or at such intervals as the health officer may determine.

6. Restriction on Entry, Movement, and Operations. –

- (1) No vessel, crew, passenger, port worker, or visitor shall enter or exit an infected zone except with the written permission of the health officer or an authorised officer.

- (2) Cargo operations, berthing, pilotage, bunkering, provisioning, or any other port activity in the infected zone shall be regulated, restricted, or suspended as specified by the health officer.
- (3) The Authority may direct:
 - (a) movement of vessels to designated quarantine berths;
 - (b) segregation of infected cargo or contaminated material;
 - (c) isolation of affected workers or crew; and
 - (d) diversion of port traffic to alternate terminals.
- (4) The applicability of these rules to inland vessels shall be limited to such vessels which are port-bound or operating within the notified port limits.

7. Health Surveillance and Screening. –

- (1) Continuous surveillance shall be maintained within the infected zone by the health officer, in coordination with the conservator and the Authority, to monitor the spread of infectious or contagious disease.
- (2) Every vessel arriving at or operating within the infected zone shall furnish:
 - (a) a Maritime Declaration of Health;
 - (b) crew/passenger health records; and
 - (c) any additional health information required under the IHR.
- (3) The health officer may conduct temperature screening, medical examination, testing, and risk assessment of crew, passengers, and port workers.
- (4) Any person suspected of infection shall be placed under isolation, quarantine, or medical observation in accordance with national public-health protocols.

8. Sanitation and Disinfection. –

- (1) The Authority may require the master or terminal operator to undertake:
 - (a) disinfection, fumigation, or vector control of the vessel, cargo, containers, equipment, or premises;
 - (b) safe disposal of contaminated waste; and
 - (c) water sanitation, ballast water checks, and air-quality control.
- (2) Disinfection measures shall conform to guidelines issued by the Ministry of Health, WHO, IMO, or any competent authority.

9. Operational Controls on Cargo and Containers. –

- (1) Cargo originating from, transiting through, or unloaded in the infected zone shall be subjected to such additional checks, treatment, or certification as the health officer may direct.
- (2) No contaminated cargo or material shall be released from the port without written clearance.
- (3) Container-handling equipment used within the infected zone shall undergo mandatory sanitization before redeployment.

10. Worker Safety and Protective Measures. –

- (1) The Authority shall, in consultation with the health officer and employers operating within the infected zone, ensure that—
 - (a) workers who are required to enter or remain in the infected zone are provided with appropriate personal protective equipment and training in its correct use;
 - (b) work schedules and deployment are so arranged as to reduce exposure, including, where feasible, by rotation of duties and minimisation of overtime in high-risk areas; and
 - (c) any worker who is unwell, or who is identified as a suspected or confirmed case or close contact, is promptly relieved from duty and referred for medical assessment.
- (2) Employers shall not require any worker to enter or remain in the infected zone in contravention of any direction issued by the health officer or the Authority. Terminal operators shall maintain logs of worker deployment, PPE issuance, and exposure records.
- (3) No worker shall be deployed in an infected zone without adequate training in infection-control procedures.

11. Communication, Coordination, and Reporting. –

- (1) The Authority shall establish a unified incident command structure, including representatives from Customs, Immigration, Coast Guard, Police, Shipping agents, and the Health Department.
- (2) Masters of vessels shall immediately report any signs of illness, contamination, or unusual mortality on board.
- (3) The Authority shall provide daily updates on the status of the infected zone to stakeholders, including shipping lines and port users.
- (4) Port health officer shall report to the Directorate General of Health Services and surveillance data to be shared with the port authorities and the Integrated Disease Surveillance Programme (IDSP).

12. Compliance Obligations. –

- (1) Every master, vessel agent, terminal operator, and port user shall comply with directions issued under these rules.
- (2) Failure to comply shall constitute a contravention under the Act and may attract penalties, suspension of operations, denial of berthing priority, or any other action deemed necessary.

13. De-notification of an Infected Zone. –

- (1) The Authority may, on the advice of the health officer, de-notify an infected zone after confirming that:-
 - (a) no active threat remains;
 - (b) all vessels, equipment, and premises have been sanitised;
 - (c) surveillance indicators conform to national and international norms.
- (2) The de-notification shall be communicated through the same channels as the original declaration.

14. Power to Issue Guidelines. –

The Authority may issue detailed guidelines, standard operating procedures, and contingency protocols consistent with these rules to ensure effective management of infected zones.

15. Residual Powers. –

Where any doubt arises in the interpretation or implementation of these rules, the decision of the Authority, based on the advice of the health officer, shall be final.

CHAPTER III – ACTION TO BE TAKEN BY THE CONSERVATOR AND THE DIRECTIONS TO BE ISSUED IN THIS REGARD

16. Powers and Duties of the Conservator. –

- (1) For the purpose of clause (a) of sub-section (5) of section 24, the conservator shall act whenever—
 - (a) any infectious or contagious disease has broken out, or is reasonably suspected to break out, on a vessel arriving at or being in any port; and
 - (b) such fact is brought to the knowledge of the conservator through—
 - (i) a report by the master under clause (b) of sub-section (5) of section 24 or rules made thereunder; or
 - (ii) a report or advice from the health officer or port health officer; or
 - (iii) information from any other reliable source, including other competent authorities.
- (2) For the purposes of sub-rule (1), “reasonably suspected to break out” includes situations where—
 - (a) one or more suspected cases are present on board; or
 - (b) there has been known exposure to a confirmed case or outbreak at a previous port or during the voyage.

17. Levels of response. –

- (1) Having regard to the advice of the health officer or port health officer, the conservator may categorise the situation, for operational purposes, into one of the following levels:
 - (a) Level 1 – Enhanced vigilance: isolated suspected case(s) with low risk of onward transmission;
 - (b) Level 2 – Containment: one or more confirmed cases, or cluster of suspected cases, on a single vessel with potential for spread;

- (c) Level 3 – Escalated response: multiple cases or high transmissibility disease with potential spread to other vessels, port workers or the community, including in the context of a declared public health emergency of international concern.
- (2) The level of response shall guide the intensity of action and directions under hereunder, without limiting the conservator's powers under the Act.

18. Directions that may be Issued by the Conservator. –

The conservator may issue directions, written or oral (with subsequent written confirmation), to any master, owner, agent, or person in charge of a vessel, structure, or premises within port limits, including directions:

- (a) To Vessels:
 - (i) to shift anchorage or berth;
 - (ii) to heave up anchor, move, tow, or moor at designated locations;
 - (iii) to cease operations, including cargo handling, bunkering, or passenger movement;
 - (iv) to comply with speed limits, navigational routes, tidal windows, or pilotage requirements;
 - (v) to take measures to prevent grounding, collision, pollution, or obstruction.
- (b) To Terminals and Operators:
 - (i) to suspend or modify operations in affected areas;
 - (ii) to remove equipment or objects creating obstructions;
 - (iii) to implement emergency pollution-control, fire-safety, or spill-containment measures.
- (c) To Individuals or Organisations:
 - (i) to vacate unsafe zones;
 - (ii) to comply with safety protocols;
 - (iii) to provide access, documents, or cooperation for inspections.

19. Coordination with health authorities and other agencies. –

- (1) The conservator shall, as soon as practicable after becoming aware of a situation under rule 5, inform and coordinate with—
 - (a) the health officer or port health officer;
 - (b) any local or State public health authority designated for the purpose; and
 - (c) such other agencies as may be required, including immigration, customs, coast guard or police.
- (2) Decisions on diagnosis, treatment, isolation or quarantine of persons shall rest with the health officer or other competent health authority; and the conservator shall take operational measures to support and give effect to such decisions within port limits.
- (3) The conservator may establish a joint incident coordination mechanism with the port health officer and other key agencies for significant events (Level 2 or Level 3), including regular situation updates and joint planning.

20. Record of Directions Issued. –

- (1) The conservator shall maintain a register of all directions issued, including date, time, nature of direction, and compliance status.
- (2) A consolidated monthly report shall be submitted to the Port Authority.

21. Communication and Publication. –

- (1) The conservator may disseminate urgent directions through:
 - (a) VHF radio;
 - (b) Local Notices to Mariners;
 - (c) email/SMS alerts;
 - (d) VTS advisories.
- (2) Copies of major directions affecting port operations shall be made available on the port website.

22. Assistance from Other Agencies. –

The conservator may request the assistance of pilotage services, Harbour Master, Coast Guard, Police, Fire Services, environmental agencies, and any other authority necessary for implementing actions under these rules.

23. Proportionality, review and withdrawal of measures. –

- (1) The conservator shall ensure that measures taken under these rules—
 - (a) are commensurate with the risk level determined under rule 6;
 - (b) are periodically reviewed in consultation with the health officer; and
 - (c) are withdrawn or relaxed as soon as the risk is assessed to have reduced to a level where such measures are no longer necessary.
- (2) For significant events (Level 2 or Level 3), the conservator and health officer shall jointly review the situation at intervals not exceeding seven days and record any decision to continue, modify or discontinue specific measures.

24. Savings. –

Nothing contained in this Chapter shall limit any other powers of the conservator or the Authority under any law for the time being in force relating to navigation, environmental protection, maritime safety, or emergency management.

CHAPTER IV - REPORTING OF COMMUNICABLE DISEASE BY MASTER OF VESSEL**25. Reporting of the particulars of any such disease by the Master. –**

(1) In pursuance of clause (b) of sub-section (5) of section 24 of the Act, the master of every vessel arriving at, or being in, any port shall report the particulars of any infectious or contagious disease, or suspected outbreak thereof, on board the vessel to—

- (a) the Government, through the port health officer or health officer designated for that port; and
- (b) the conservator or such other port officer as the port may specify for operational coordination.

(2) The duty to report shall arise whenever—

- (a) a case or suspected case of any infectious or contagious disease is identified on board;
- (b) there has been a death on board from unknown causes or suspected infectious disease during the voyage or while in port; or
- (c) there is an unusual aggregation of cases of illness on board which may indicate an outbreak.

(3) Reporting under sub-rule (1) shall be mandatory regardless of whether the vessel is:

- (a) at anchorage,
- (b) underway,
- (c) berthed, or
- (d) engaging in cargo, bunkering, or passenger operations.

(4) No vessel shall obtain outward or inward clearance until compliance with these reporting requirements is confirmed.

26. Timing of Report. –

(1) Where a suspected case of infectious or contagious disease is known before arrival, the master shall report at least:

- (a) 24 hours before arrival, or
- (b) at the earliest possible time if voyage duration is less than 24 hours.

(2) If an infectious or contagious disease arises during voyage, the master shall report immediately upon detection.

(3) If infectious or contagious disease occurs after berthing, the master shall notify the conservator and health officer without delay.

27. Manner of Reporting. –

The master shall report disease using the following steps:

(a) Primary Reporting (Initial Notification)

Report may be made through—

- (i) VHF radio (Channel designated by the port),
- (ii) Email to the Port Health Office,
- (iii) Electronic portal designated by the Port Authority,
- (iv) Written communication via the agent.

(b) Submission of Maritime Declaration of Health (MDH)

The master shall submit a Maritime Declaration of Health, containing—

- (i) symptoms and nature of infectious or contagious disease;
- (ii) number of affected persons;
- (iii) details of isolation measures taken on board;
- (iv) port of call list for 30 days with arrival and departure dates;
- (v) any deaths on board;
- (vi) sanitary measures already conducted.

(c) Supplementary Reporting

The master shall provide:

- (i) updated medical logs;
- (ii) crew and passenger lists;
- (iii) details of last medical inspection;
- (iv) vaccination certificates or health documents if required;
- (v) details of any stowaways on board as per IMO standard format; touched any ports in the Yellow Fever Endemic Countries in the last 30 days, before arrival (If yes, provide details of Port Country..... Departure date.....).

28. Information to be Provided. –

A report submitted by the master shall include the following details:

- (a) Vessel name, IMO number, flag, and type;
- (b) Last port of call and next port of call;
- (c) Description of the infectious or contagious disease or symptoms detected;
- (d) Number of affected persons (crew/passengers separately);
- (e) Condition of each affected person;
- (f) Measures undertaken on board (isolation, disinfection, treatment);
- (g) Any request for medical evacuation or assistance;
- (h) Whether the vessel requires quarantine or special berthing instructions.

29. Duties of the Master After Reporting. –

After reporting, the master shall—

- (a) isolate the affected person(s) as per WHO protocol;
- (b) restrict movement of crew/passengers (as advised by health officer);
- (c) prohibit shore leave unless permitted;
- (d) comply with directions of the conservator and health officer;
- (e) maintain sanitation and hygiene measures on board;
- (f) make the vessel available for inspection by port health officials.

30. Directions by conservator and health officer. –

Upon receipt of the master's report, the conservator may direct the vessel after taking into consideration the health officer's directions: -

- (a) to anchor at quarantine anchorage;
- (b) to berth at an isolated/quarantine berth;
- (c) to cease cargo/passenger operations;
- (d) to undertake cleaning, disinfection, fumigation;
- (e) to disembark affected individuals for treatment;
- (f) to undergo medical inspection or testing;
- (g) to comply with any public-health advisory.

31. Failure to Report. –

- (1) Failure to report infectious or contagious disease, delay in reporting, or concealment of information shall be treated as a violation of the Act.
- (2) The Port Authority may impose—
 - (a) penalties under the Act;
 - (b) refusal of port clearance;
 - (c) detention of the vessel;
 - (d) recovery of costs for containment, quarantine, or emergency measures.

32. Confidentiality and Record Keeping. –

- (1) The conservator and health officer shall maintain a confidential register of infectious or contagious disease reports.
- (2) Records shall be retained for at least seven years.
- (3) Information may be shared with authorised agencies including WHO, State Health Department, and Immigration authorities in accordance with law.

33. Savings. –

Nothing in this Chapter shall limit the powers of the conservator, the Authority, or health officer under any law for the time being in force to take emergency measures for the protection of public health and safety.

34. Application of Indian Port Public Health Rules, 2026. –

The provisions of these rules shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of the Indian Port Public Health Rules, 2026.

[F. No. PD-24015/1/2025-PD-I-Part(1)/E-378339]

MUKESH MANGAL, Addl. Secy.